Right To Education

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.21(19)शिक्षा-1/प्राशि./2009 जयपुर, दिनांक मार्च 31, 2011

आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
बीकानेर

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संपूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रेल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर लागू होते हैं, चाहे वह अनुदानित हों अथवा गैर-अनुदानित, तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से संबद्ध हों।

उक्त अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियांविति हेतु "राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011" निर्मित कर मार्च 29, 2011 को अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट (www.rajssa.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

इस संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है-:

क) उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान है कि समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश देंगे। "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश देने के संबंध में प्रावधान उपरोक्त

वर्णित नियमों के नियम 10 में किये गये हैं तथा विद्यालयों को राशि के पुर्नभरण की प्रक्रिया नियम 11 में निर्धारित की गयी है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंर्तगत राज्य सरकार ने दिनांक 29/03/2011 को दो अलग-अलग अधिसूचनायें जारी करके "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" को परिभाषित कर दिया है। इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश अलग से प्रसारित किए जा चुके हैं।

ख) उक्त अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी भी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस (capitation fees) संगृहित नहीं करेगा। अत: यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी बालक से प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल नहीं किया जाये।

ग) उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी विद्यालय किसी बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आकस्मिक (random) आधार पर सम्पन्न की जानी है। अत: यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी विद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी रखी जाये तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को आमजन के सूचनार्थ प्रसारित किया जाये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2010 को इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

घ) उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 19 में यह प्रावधान हैं कि इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत बिना मान्यता प्राप्त किए राज्य में कोई भी गैर-सरकारी प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है स्थापित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में संचालित समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है के लिए तीन वर्ष के अन्दर मान्यता लेना अनिवार्य होगा। मान्यता लेने से पूर्व सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उक्त अधिनियम की अनुसूचि में वर्णित सभी नौर्मस (norms) की पूर्ती करते हैं।

ङ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 25 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम की अनुसूचि में वर्णित छात्र-

शिक्षक अनुपात प्रत्येक विद्यालय के लिए सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रावधान राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर भी लागू होते हैं। प्रत्येक राजकीय विद्यालय में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन नियम 21 में किया गया है।

च) उक्त अधिनियम की अन्य मुख्य विशेषतायें निम्नानुसार हैं:-

- किसी भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा। (धारा 16)
- किसी भी बालक को न तो शारीरिक दंड ही दिया जायेगा और न ही किसी प्रकार से उसका मानसिक उत्पीडन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सेवा नियमों के अंर्तगत काईवाई की जायेगी। (धारा 17)
- शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन इस अधिनियम की धारा 24(1) में किया गया है। इन कर्तव्यों के पालन में व्यकित्क्रम करने (committing default) वाले शिक्षकों के विरुद्ध सेवा नियमों के अंर्तगत कार्रवाई की जायेगी (धारा 17(2)।
- कोई भी शिक्षक / शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वय को नहीं लगाएगा/लगाएगी। (धारा 28)
- किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जायेगा। (धारा 27)

आपके अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित करें कि उक्त प्रावधानों का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कडाई से सुनिश्चित करायें।

31/03/2011

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव